ायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

ाल संख्या 11/2021 निर्णय दिनांक :–10.01.2022

नवानी दावा :

धन्नालाल पुत्र कालू जाति मीणा निवासी पोल्याड़ी तहसील देवली जिला–टोंक राज0

–वादी–

बनाम

1.राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक (राज.)
2.तहसीलदार देवली जिला–टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री आर. एन. तुनगारिया
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दावा उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188, 209 आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन करने पर वादी को साबिक ख. नं. 670/886 रकबा 1 बीघा ग्राम पोल्याडा तहसील देवली में दिनांक 17.1.1983 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादी को काश्त हेतु भूमि आवंटन की गई, भूमि मौके पर सुपुर्द की जाकर नजरी नक्शा दिया गया। वादी को आवंटन होने के बाद नामान्तकरण सं0 313 दिनांक 14.7.1983 को गैर खातेदारी दर्ज हुई और वादी भूमि पर काबिज होकर काश्त करता रहा। वादी को आवंटन होकर गैर खातेदारी दर्ज होने के बाद बन्दोबस्त/सेटलमेंट कार्यवाही प्रारम्भ हो गई तथा दौराने सेटलमेंट कर्मचारियों की लापरवाही पूर्ण कार्यवाही करते हुये वादी की गैर खातेदारी भूमि साबिक खसरा नं0 670/886 रकबा 1 बीघा के नये हाल खसरा नं0 1429 रकबा 0.15 है बनाये गये जबकि वादी को 1 बीघा रकबा के बदले रकबा 0.25 है0 भूमि देनी चाहिए थी तथा भूमि आवंटन के नजरी नक्शानुसार रोड के पूर्वी दिशा की तरफ हाल खसरा नं0 1470, खसरा नं0 1473 में कुल रकबा 0.25 है0 दिया जाना चाहिए था। इसके विपरीत सेटलमेंट ने लापरवाही पूर्व तरीके से वादी को सेटलमेंट पूर्व गैर खातेदारी भूमि के बदले हाल खसरा नं0 1429 रकबा 0.15 है0 भूमि दी गई। इस प्रकार सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती व लापरवाही के कारण वादी को जहां भूमि आवंटन होकर कब्जा सुपुर्द किया वह हाल खसरा नं0 1470 रकबा 0.19 है0 (सम्पूर्ण

Scanned with CamScanner

हाल खसरा नं0 1473 रकबा 0.09 में से रकबा 0.06 है0 कुल रकबा 0.25 है0 भूमि को राजकीय अंकित कर दिया गया तथा जहां वादी को भूमि सुपुर्द नही की गई। रोड पश्चिम दिशा की तरफ खसरा नं0 1429 रकबा 0.15 है0 में गैर खातेदारी दे दी गई। जबकि खसरा नं0 1429 के पुराने साबिक खसरा नं0 681 है। ग्राम पोल्याडा से अलग होकर नवीन राजस्व ग्राम पोल्याडी बनने से हाल खसरा नं0 1429 रकबा 0.15 है0 के नये खसरा नं0 417 रकबा 0.15 है0, हाल खसरा नं0 1470 रकबा 0.19 है0 के नये खसरा नं0 493 रकबा 0.19 है0 हाल खसरा नं0 1473 रकबा 0.09 है0 के नये खसरा नं0 496 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम पोल्याडी बनाये गये है। सेटलमेंट की गलती से वादी की आवंटन गैर खातेदारी काबिज काश्त भूमि हाल खसरा नं0 1470 रकबा 0.19 है0 के नये खसरा नं0 493 रकबा 0.19 है0 सम्पूर्ण रकबा हाल खसरा नं0 1473 रकबा 0.09 है0 के नये खसरा नं0 496 रकबा 0.09 है0 मे से 0.06 है0 कुल रकबा 0.25 है0 भूमि रोड के पूर्वी दिशा की तरफ को अपनी खातेदारी में इन्द्राज करवाने का अधिकारी है तथा वादी हाल खसरा नं0 1429 रकबा 0.15 है0 के नये खसरा नं0 417 रकबा 0.15 है0 भूमि को राजकीय किया जाना आवश्यक है तथा हाल खसरा नं0 493, 496 वाके ग्राम पोल्याडी राजकीय होने से प्रतिवादी नं0 2 वादी को कभी भी बेदख़ल कर सकते है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नं0 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि उक्त भूमि खसरा नं0 493, 496 कुल रकबा 0.25 है0 भूमि से बेदखल नही करें। इस कारण वाद पेश है। वादी रोड के पूर्वी दिशा की तरफ नये खसरा नं0 493 रकबा 0.19 है0 सम्पूर्ण रकबा नये खसरा नं0 496 रकबा 0.09 है0 मे से 0.06 है0 कुल रकबा 0.25 है0 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है। वाद कारण हाल ही उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नं0 2 वादी को हाल खसरा नं0 493, 496 ग्राम पोल्याडी से बेदखल करने पर आमादा होने से उत्पन्न हुआ जो लगातार जारी है।

प्रतिवादीगण को तलबी जारी की गई। पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जिसके अनुसार चरण नं. 1 में वादी द्वारा साबिक खसरा नं0 670/886 में 1 बीघा भूमि दिनांक 17.01.1983 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की गई थी। जिसका साबिक नामान्तकरण दर्ज किया गया था। खसरा नं0 493, 496 पर कब्जे काश्त के सबूत के रूप में पी–14 की नकले संलग्न है। चरण नं. 2 वादी को 1 बीघा जमीन आवंटन हुई थी। जिसकी बजाय 0.15 है0 भूमि भू–प्रबंध में दी गई है। जिसके खसरा हाल खसरा नं0 1429 है। जो साबिक खसरा नं0 681 मिन से बना है। खसरा नं0 1470 व 1473 साबिक खसरा नं0 670/886 से बने है। चरण नं. 3 वादी का कथन सही है। चरण नं. 4 न्यायालय से संबंधित है। चरण नं. 5 वर्तमान में यह जमीन सिवायचक है। अतः धारा 91 के तहत बेदखल की कार्यवाही उचित है। चरण नं. 6 धारा 80(2) सीपीसी का शपथ पत्र पत्रावली के साथ संलग्न है। चरण नं. 7 सिवायचक से बेदखल करने का वादी नंबर 2 का अधिकार है। चरण नं. 8, 9 व 10 न्यायालय से संबंधित है।

Scanned with CamScanner

पत्रावली में तनकियात कायम की गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बयान गवाह पी. डब्ल्यू–1 वादी धन्नालाल पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी पोल्याड़ी के करवाये। वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 नकल, जमाबंदी सम्वत् 2030–33, प्रदर्श–2 आवंटन पत्रावली सम्पूर्ण, प्रदर्श–3 नामान्तकरण संख्या 313, प्रदर्श–4 भू–प्रबंध का खसरा पत्रक, नकल जमाबंदी, प्रदर्श–5, 6 व 7 मिलान क्षैत्रफल 2046–65, प्रदर्श–8 जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग, प्रदर्श–9 जमाबन्दी सम्वत 2051–54, प्रदर्श–10 जमाबन्दी सम्वत 2051–54, प्रदर्श–11 व 12 मिलान क्षैत्रफल नवीन राजस्व ग्राम बनने का, प्रदर्श–13 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रदर्श–14 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 44, प्रदर्श–15 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नकल पी–14 संवत् क्रमशः सम्वत 2050, 55, 56, 57, 58, 77 प्रदर्श–23 से 31 मिलान क्षैत्रफल नवीन राजस्व ग्राम बनने से एवं छायाप्रतियां खाता संख्या 46, 39, 175, 177, 14, 146, 127, 47, 110, 36, 156, 1 पेश की है।

पेरोकार सरकार द्वारा जिरह नहीं करने से साक्ष्यवादी जिरह बन्द की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार द्वारा सरकार द्वारा साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया वादी को साबिक ख. नं. 670/886 रकबा 1 बीघा ग्राम पोल्याडा तहसील देवली में दिनांक 17.1.1983 को काश्त हेतु भूमि आवंटन की गई, भूमि मौके पर सुपुर्द की जाकर नजरी नक्शा दिया गया। वादी को आवंटन होने के बाद नामान्तकरण सं0 313 दिनांक 14.7.1983 द्वारा गैर खातेदारी दर्ज हुई । दौराने सेटलमेंट कर्मचारियों की लापरवाही पूर्ण कार्यवाही करते हुये वादी की गैर खातेदारी भूमि साबिक खसरा नं0 670/886 रकबा 1 बीघा के नये हाल खसरा नं0 1429 रकबा 0.15 है0 भूमि ही दी गई जबकि वादी को 1 बीघा भूमि के बदले रकबा 0.25 है0 भूमि देनी चाहिए थी तथा भूमि आवंटन के नजरी नक्शानुसार रोड के पूर्वी दिशा की तरफ हाल खसरा नं0 1470, खसरा नं0 1473 में कुल रकबा 0.25 है0 दिया जाना चाहिए था। परन्तु सेटलमेंट कर्मचारीयों ने लापरवाही पूर्व तरीके से वादी को हाल खसरा नं0 1429 रकबा 0.15 है0 भूमि दी गई। इस प्रकार सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती व लापरवाही के कारण वादी को जहा भूमि आवंटन होकर कब्जा सुपुर्द किया वहां हाल खसरा नं0 1470 रकबा रकबा 0.19 है0 व हाल खसरा नं0 1473 रकबा 0.09 में से रकबा 0.06 है0 कुल रकबा 0.25 है0 भूमि को तो राजकीय अंकित कर दिया गया जबकि इस भूमि को वादी की खातेदारी में देनी चाहिए और रोड के पश्चिम दिशा की तरफ खसरा नं0

Scanned with CamScanner

रकबा 0.15 है0 जहां वादी को नक्शे अनुसार आवंटन नहीं हुई, में वादी को गैर दारी दे दी गई। सेटलमेन्ट कार्मिको को पूर्व प्रविष्टियों के अनुसार ही खातेदारी व ह देनी चाहिए थी। ग्राम पोल्याडा से अलग होकर नवीन राजस्व ग्राम पोल्याडी बनने हाल खसरा नं0 1429 रकबा 0.15 है0 के नये खसरा नं0 417 रकबा 0.15 है0, हाल खसरा नं0 1470 रकबा 0.19 है0 के नये खसरा नं0 493 रकबा 0.19 है0 हाल खसरा नं0 1473 रकबा 0.09 है0 के नये खसरा नं0 496 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम पोल्याडी बनाये गये है। सेटलमेंट की गलती से वादी की आवंटन गैर खातेदारी काबिज काश्त भूमि हाल खसरा नं0 1470 रकबा 0.19 है0 के नये खसरा नं0 493 रकबा 0.19 है0 सम्पूर्ण रकबा हाल खसरा नं0 1473 रकबा 0.09 है0 के नये खसरा नं0 496 रकबा 0.09 है0 मे से 0.06 है0 कुल रकबा 0.25 है0 भूमि रोड के पूर्वी दिशा की तरफ को अपनी खातेदारी में इन्द्राज करवाने का अधिकारी है तथा वादी हाल खसरा नं0 1429 रकबा 0.15 है0 के नये खसरा नं0 417 रकबा 0.15 है0 भूमि को राजकीय किया जाना आवश्यक है। अतः वादी का वाद साबित होने से डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार बहस मे अनुपस्थित रहे।

तनकीवार बिन्दूओं के निर्णय निम्न प्रकार है:–

1. **आया वादी खसरा नं0 493 रकबा 0.19 है0 व खसरा नं0 496 रकबा 0.09 है0 में से 0.06 है0 कुल रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम पोल्याड़ी तहसील देवली की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने व उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकित राजकीय इन्द्राज को हटवाकर दुरूस्त राजस्व रिकार्ड करवाने का अधिकारी है?** –वादी–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। इसके लिए वादी ने प्रदर्श–1 राजकीय भूमि का खाता जिम्मन नं.1 जिसका ख. नं. 670/886 रकबा 1 बीघा था। प्रदर्श–2 आवंटन पत्रावली सम्पूर्ण जिसमें वादी को ख. नं. 670/886 रकबा 1 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 17.01.1983 व सुपुर्दगीनामा दिनांक 04.08.1983 नक्शा ट्रेस दिनांक 02.01.1984 दर्शित है। प्रदर्श–3 नामान्तकरण संख्या 313 जिसमें ख. नं. 670/886 रकबा 1 बीघा में वादी का नामान्तकरण गैर खातेदार के रूप में 14.07.1983 को नामान्तकरण पंजिका ग्राम पोल्याड़ा में अंकन किया गया। प्रदर्श–4 व 5 भू–प्रबंध का खसरा पत्रक के अनुसार साबिक ख. नं. 681 से नया ख. नं. 1429 रकबा 0.15 है0 बनना दर्शित है। प्रदर्श–6 व प्रदर्श–7 साबिक ख. नं. 670/886 मिन से ख. नं. 1470 रकबा 0.19 है0 व ख. नं. 1473 रकबा 0.09 बनना दर्शित है। नकल जमाबंदी, प्रदर्श–5, 6 व 7 मिलान क्षैत्रफल 2046–65, प्रदर्श–8 जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत 2046–65 में वादी को ख. नं. 1429 रकबा 015 है0 का गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड कर दिया, प्रदर्श–9 व प्रदर्श–10 जमाबन्दी सम्वत 2051–54 में ख. नं. 1470 रकबा 0.19 है0 व ख. नं. 1473 रकबा 0.09 सिवायचक काबिल काश्त दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दिया गया। प्रदर्श–11 व 12 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2061–64 राजस्व ग्राम

Scanned with CamScanner

ल्याड़ा से नवीन राजस्व ग्राम पोल्याड़ी बनने से ख. नं. 1429 से हाल ख. नं. 417, ख. नं. 1470 से हाल ख. नं. 493 व ख. नं. 1473 से ख. नं. 496 बनना दर्शित है। प्रदर्श–13 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में हाल ख. नं. 493 व 496 को सिवायचक काबिल काश्त दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श–14 जमाबन्दी सम्वत 2076–79 खाता संख्या 44, प्रदर्श–15 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–16, 17, 18, 19, 20, 21, नकल पी–14 संवत् क्रमशः सम्वत 2050, 55, 56, 57, 58, 77 के अनुसार ख. नं. 1469 रकबा 0.15 है0 व ख. नं. 1470 रकबा 0.19 है0 पर वादी का कब्जा दर्शित है। प्रदर्श–23 से 31 मिलान क्षैत्रफल नवीन राजस्व ग्राम बनने से बनने वाले खसरा नम्बरो को पेश किया है। उक्त दस्तावेजो का विश्लेषण व सश्लेषण करने से यह स्पष्ट है कि वादी को ख. नं. 670/886 रकबा 1 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 17.01.1983 को आवंटित की गई व सुपुर्दगीनामा दिनांक 04.08.1983 से सुपुर्दगीनामा दिया गया जो नक्शा ट्रेस से दर्शित है। जिसका नामान्तकरण गैर खातेदार के रूप में 14.07.1983 को नामान्तकरण पंजिका ग्राम पोल्याड़ा में दर्ज रिकॉर्ड है। भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा प्रदर्शित साबिक ख. नं. 681 मिन से ख. नं. 1429 बनना दर्शित है और साबिक ख. नं. 670/886 मिन एक बड़ा रकबा है जिससे कई ख. नं. बने परन्तु वादी जहां काबिज था वहां ख. नं. 670/886 मिन से ख. नं. 1470 रकबा 0.19 है0 व ख. नं. 1473 रकबा 0.09 है0 है। वादी को साबिक ख. नं. 670/886 में से 1 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था जो साबिक शीट व वर्तमान शीट का अवलोकन से ख. नं. 1470 रकबा 0.19 है0 व ख. नं. 1473 रकबा 0.09 है0 में से 0.06 है0 का लगभग मिलान होता है, जिनको सेटलमेंन्ट अधिकारीयों ने राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया और भू–प्रबन्ध विभाग ने वादी को ख. नं 1429 रकबा 0.15 है0 का गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जबकि ख. नं. 1429 साबिक ख. नं. 681 मिन से बना है जिसका मिलान साबिक ख. नं. 670/886 से नहीं होता है, जो सेटलमेन्ट विभाग की स्पष्ट त्रुटि प्रतीत होती है। मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2061–64 राजस्व ग्राम पोल्याड़ा से नवीन राजस्व ग्राम पोल्याड़ी बनने से ख. नं. 1429 से हाल ख. नं. 417, ख. नं. 1470 रकबा 0.19 है0 से हाल ख. नं. 493 रकबा 0.19 है0 व ख. नं. 1473 रकबा 0.09 है0 से ख. नं. 496 रकबा 0.09 है0 बनाया गया है। उक्त तनकी के सम्बन्ध में तहसीलदार देवली द्वारा भी कोई विशेष आपत्ति व दस्तावेज पेश नहीं किये है। तहसीलदार देवली द्वारा अपने जवाब में उक्त तथ्यो के समर्थन किया है। अतः तनकी नं. 1 को वादी ने बखूबी साबित किया है। तनकी नं. 1 का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण वादी के पक्ष में किया जाता है।

2. **आया वादी आराजी खसरा नं0 417 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम पोल्याड़ी तहसील देवली जो वादी की खातेदारी में इन्द्राज है, को वादी की खातेदारी से हटवाकर राजकीय भूमि (सिवायचक) करवाने का अधिकारी है?** –वादी–

Scanned with CamScanner

तनकी नं. 1 के विश्लेषण अनुसार वादी को ख. नं. 670/886 रकबा 1 घा भूमि आवंटन दिनांक 17.01.1983 को आवंटित की गई भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा प्रदर्शित साबिक ख. नं. 681 मिन से ख. नं. 1429 बनना दर्शित है। और साबिक ख. नं. 670/886 मिन एक बड़ा रकबा है जिससे कई ख. नं. बने परन्तु वादी जहां काबिज था वहां ख. नं. 670/886 मिन से ख. नं. 1470 रकबा 0.19 है0 व ख. नं. 1473 रकबा 0.09 है0 जबकि ख. नं. 1429 रकबा 0.15 ख. नं. 681 मिन से बना है। ख. नं. 1429 रकबा 0.15 है0 से नये राजस्व ग्राम पोल्याड़ी बनने से ख. नं. 417 रकबा 0.15 है0 बना है जिसको वादी की खातेदारी में अंकन कर दिया। अतः वादी को आवंटित साबिक ख. नं. 681/886 से सेटलमेंन्ट बाद गलत बने ख. नं. 1429 व नये राज़स्व ग्राम पोल्याड़ी बनने से ख. नं. 1429 से बने हाल ख. नं. 417 रकबा 0.15 को वादी की खातेदारी में लगा दिया जो त्रुटिपूर्ण है। अतः तनकी नं. 2 को वादी ने राजस्व दस्तावेजो से सिद्ध किया है। अतः तनकी नं. 2 विरूद्ध प्रतिवादी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. **वाया वादी खसरा नं0 493, 496 से वादी को बेदखल नहीं करने व कब्जाकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण संख्या 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है?** –वादी–

तनकी नं. 1 व 2 के निर्णयानुसार तनकी नं. 3 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

4. **आये प्रतिवादीगण खसरा नं0 493, 496 राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक होने से बेदखली की कार्यवाही उचित है?** –पेरोकार सरकार–

इस तनकी का साबित करने का भार पेरोकार सरकार पर था जिसके लिए प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य , सबूत व राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किये । अतः तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकीवार निर्णय के विश्लेषण व विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादी को दिनांक 17.01.1983 को ख. नं. 670/886 में 1 बीघा भूमि का आवंटन साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार हुआ था। सेटलमेंन्ट के बाद भू–प्रबन्ध अधिकारीयों ने ख. नं. 670/886 के नये ख. नं. 1429 रकबा 0.15 है0 बनाते हुए वादी को गैर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। जबकि भू–प्रबन्ध मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है कि ख. नं. 1429 रकबा 0.15 है0 साबिक ख. नं. 670/886 से न बनकर साबिक ख. नं. 681 मिन से बना है। ख. नं. 1429 रकबा 0.15 है0 से नया राजस्व ग्राम पोल्याड़ी बनने से ख. नं. 1429 रकबा 0.15 है0 से ख. नं. 417 रकबा 0.15 है0 बना है जो वर्तमान में वादी की खातदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मिलान क्षैत्रफलो का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि साबिका ख. नं. 670/886 में जहां वादी को कब्जा सुपुर्द किया गया था उनमें से कई ख. नं. बने परन्तु वादी को जहां कब्जा संभलाया गया था उस नक्शा ट्रेस और वर्तमान नक्शा ट्रेस का उपर

Scanned with CamScanner

रखकर देखने व मिलान क्षैत्रफल से यह स्पष्ट होता है कि साबिका ख. नं. से ख. 470 रकबा 0.19 है0 व ख. नं. 1473 रकबा 0.09 है0 बने है और पोल्याड़ा से नया राजस्व ग्राम बनने से ख. नं. 1470 दरकबा 0.19 है0 से ख. नं. 493 रकबा 0.19 है0 व ख. नं. 1473 रकबा 0.09 है0 से ख. नं. 496 रकबा 0.09 है बने है और वर्तमान में वादी का ख. नं. 493 रकबा 0.19 है0 व ख. नं. 496 रकबा 0.09 है0 में से 0.06 है0 पर आवंटन के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। जबकि सेटलमेन्ट ने वादी को पूर्व में ख. नं. 1429 रकबा 0.15 है0 का गैरखातेदार राजस्व रिकॉर्ड कर दिया जिसके कारण ख. नं. 1429 रकबा 0.15 है0 से बने ख. नं. 417 रकबा 0.15 है0 वादी की खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है। सेटलमेन्ट अधिकारियों को पूर्व प्रविष्टियों को ही दोहराना चाहिए था। अतः हाल जमाबन्दी वाके ग्राम पोल्याड़ी में सम्वत 2073–76 में दर्ज ख. नं. 417 रकबा 0.15 है0 में से वादी का नाम हटाकर राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय (सिवायचक) करने व ख. नं. 493 रकबा 0.19 है0 तथा ख. नं. 496 रकबा 0.09 है0 में से 0.06 है0 का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with CamScanner